

कार्यवाही विवरण

हस्ताक्षर पार्टी त
सूचनाएं जारी की

26.11.24

पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता अव्यवस्थित प्रत्येक
प्रतिवादी शामिल हेतु निपट है। वादी अधिवक्ता के शामिल
हेतु सामन पेश किये हेतु पूर्व में कई बार अतिम पत्रावली
दिए गए बावजूद सामन पेश नहीं किया गया है। न्यायालय
द्वारा कठ-कठकर कई बार आवाज लगाई गई।
बावजूद उनके कोई उपस्थिति नहीं होने से यह जाहिर
है कि वादी अपने वाद के प्रति गंभीर नहीं है तथा
वाद चलाना नहीं चाहता है।

अतः वादी का वाद आदेश १ नियम ५, ४३ तहत
अदम शामिल में एवं अदम हाजती के बरिज किया जाता है।
निर्णय खरेद जलास सुनाया गया। प्रकरण फंसल शुभ्रा
होकर नम्बर से कम है।



(रियासकी)

IAS